

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1629 -एक/07

जिला -रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.5.14 समय दोपहर 12.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री लवलेश त्रिपाठी एवं आवेदक श्री रामाकांत शर्मा तनय स्व0 श्री काशीप्रसाद निवासी ग्राम नौवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।	
समय दोपहर 3.00 बजे	प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।	
शाम 5.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री लवलेश त्रिपाठी एवं आवेदक श्री रामाकांत शर्मा तनय स्व0 श्री काशीप्रसाद निवासी ग्राम नौवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।	
	आवेदक के अधिवक्ता श्री लवलेश त्रिपाठी एवं आवेदक श्री रामाकांत शर्मा तनय स्व0 श्री काशीप्रसाद निवासी ग्राम नौवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।	

*Anurag*  
सदस्य

*Anurag*  
सदस्य

*Anurag*  
(अशोक शिवहरे)  
सदस्य

*R. S. Singh*  
15-5-14

